राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8(सेमीनार)अकाद/निकाशि/2012/II/ 614 दिनांकः 11.12.2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधियों/कार्यों हेतु अकादमिक अवकाश की स्वीकृति करने हेतु।

महोदय,

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ 1(12) वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 1.4.1983 एवं प. 1(12) वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 24.6.1996 तथा एफ 1(1)एफ.डी. (रूल्स)/2012 दिनांक 14.2.2012 के तहत विभिन्न शैक्षणिक/अकादमी कार्यों के सम्पादन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश (अकादमिक अवकाश) दिया जाता है। इस हेतु निदेशालय स्तर पर श्रीमान् निदेशक महोदय द्वारा एफ. 1(विविध)अकादमिक अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/ 2655 दिनांक 10.12.2012 एवं एफ 8(विविध)अकादमिक अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/ 4582 दिनांक 10.04.2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। **अत्यन्त खेद का विषय है कि उक्त आदेशों तथा उसके उपरांत श्रीमान् निदेशक महोदय द्वारा जुलाई 2013 तथा सितम्बर 2013 में आयोजित प्राचार्य सम्मेलनों में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये जाने के बावजूद भी अनेकानेक प्राचार्यों द्वारा राजकीय आदेशों व निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है।**

व्याख्याताओं के शैक्षणिक/अकादमिक/शोध प्ररक क्षेत्रों में उन्नयन एवं ज्ञान के संवर्धन हेतु सम्बद्ध गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता हेतु अकादमिक अवकाश देय होता है। व्याख्याताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी गतिविधियों में सहभागिता करें जिनसे प्राप्त ज्ञान/अनुभव का सीधा लाभ अध्यापन/शोध के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाया जा सके। विद्यार्थियों के हित में इस अपेक्षा की पूर्ण पालना प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि–

1. (i) प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बैठकों में सहभागिता/निरीक्षण/ मूल्यांकन कार्य सम्पादित करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश (अकादमिक अवकाश) उस स्थिति में ही स्वीकृति योग्य है, यदि इन कार्यों हेतु सामान्य दैनिक/यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी प्रकार का पारिश्रमिक/मानदेय उपस्थिति के आधार पर या एक मुश्त नहीं प्राप्त किया गया हो।

   (ii) फ्लाइंग स्कवाड व अन्य कार्य हेतु उन व्याख्याताओं को ही भेजा जावें जिनके लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूर्व में प्राचार्य से सहमति प्राप्त कर ली गई हो।

2. (i) शिक्षक संगठनों/विषय से सम्बद्ध संगठनों द्वारा आयोजित सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशाला/विस्तार व्याख्यान/संगोष्ठी में केवल वे व्याख्याता ही सहभागिता कर सकेगे जो उस शिक्षक/विषय संगठन से सम्बद्ध हों।

   (ii) उक्त कार्य हेतु एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम् 4 दिवस का अकादमिक अवकाश देय होगा।

   (iii) एक से अधिक शिक्षक/विषय संगठन होने की स्थिति में एक व्याख्याता को मात्र एक शिक्षक/विषय संगठन की गतिविधि में ही सहभागिता की अनुमति मिल सकेगी।

3. व्याख्याताओं को राज्य के भीतर आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला/व्याख्यान आदि हेतु अकादमिक अवकाश निम्न मानदण्ड पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृत करें–

   (i) व्याख्याता को आयोजक द्वारा निमंत्रण–पत्र भेजा गया हो।

   (ii) शोध पत्र प्राचार्य के माध्यम से अग्रेषित करवा कर उसकी एक प्रति कार्यालय में जमा की गई हो।

   (iii) शोध पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो।

4. राज्य के बाहर आयोजित शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधियों हेतु अकादमिक अवकाश की स्वीकृति निदेशालय स्तर पर ही जारी की जावेगी। शोध–पत्र इत्यादि की प्रति निदेशालय को भी प्रेषित करनी होगी। ऑनलाईन आमंत्रण/आवेदन की स्थिति में शोध–पत्र निदेशालय की सम्बद्ध ई–मेल पर भी प्रेषित करना /करवाना सुनिश्चित करें।
5. राज्य के बाहर जाने हेतु अकादमिक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र की आयोजन की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व निदेशालय में पहुंच को प्राचार्य सुनिश्चित करें। श्रीमान् निदेशक महोदय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी अधिकांश प्राचार्य इस समय सीमा का ध्यान नहीं रख रहे है। जिसके कारण आयोजन से पूर्व आवेदक तक अनुमति पहुंचने में कठिनाई होती है। **समयावधि की सुनिश्चितता प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी।**
6. **प्राचार्य/उपाचार्य को शैक्षणिक/अकादमिक अवकाश राज्य के भीतर व बाहर केवल निदेशालय स्तर से ही उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर स्वीकृत होगा।**
7. विशेष ध्यान रखें कि प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता पूर्व सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधि हेतु प्रस्थान करें। प्राचार्य इसे सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी निभायें।
8. **एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम् 15 अकादमिक अवकाश देय हैं, एक बार में 10 से अधिक अकादमिक अवकाश स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे।**
9. शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधि में सहभागिता हेतु किसी भी प्रकार का वित्तीय भार राजकोष से वहन नहीं किया जावेगा।
10. (i) विदेश में आयोज्य अकादमिक गतिविधि हेतु आवेदन प्रक्रिया निदेशालय के माध्यम से सम्पादित की जावेगी।

    (ii) विदेश जाने हेतु राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश सं. एफ.5 (20) कार्मिक/ए–1/2006 दिनांक 27.11.2006 की अर्हताओं को पूर्ण करना तथा एन.ओ.सी. प्राप्त करना सम्बद्ध अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।

भवदीय,

**(डॉ. राजेश शुक्ला)**
**संयुक्त–निदेशक–अकादमी**

क्रमांकः एफ 8(सेमीनार)अकाद/निकाशि/2012/II/ 614 दिनांकः 11.12.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

**(डॉ. राजेश शुक्ला)**
**संयुक्त–निदेशक–अकादमी**